<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2016 (उदयपुर आर्डर)

भंवरलाल पिता मूला जी रेबारी, निवासी माण्डकला, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सायरी पुत्री वागा जी पत्नी बाबूदान रेबारी, निवासी करोली (ढाणी), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोतमलाल पिता मांगीलाल रेबारी, निवासी वांगरोदी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजू पिता गोतमलाल जरिये संरक्षक प्राकृतिक पिता गोतमलाल पिता मांगीलाल रेबारी, निवासी वांगरोदी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सुश्री रेखा पुत्री गोतमलाल जरिये संरक्षक प्राकृतिक पिता गोतमलाल पिता मांगीलाल रेबारी, निवासी वांगरोदी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 25–06–2012 प्रकरण सं.2/08

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री विजय ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 से 4

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 27–09–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डकला में आराजी नंबर 459 से 464, 467 कुल किता 7 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चूना, वागा पिता सवा रेबारी के नाम हि.ब. दर्ज होकर नामान्तरण संख्या 513 विरासत से वागा की बजाय सायरी पिता वागा 1/2 दर्ज है, [illegible] का सजरा प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष सवाजी दो पुत्र चुना व वागा हुए। लाऔलाद फोत हुआ। वागी के दो पुत्री प्रार्थी संख्या 1 सायरी व अतरी हुई। अतरी के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है एवं अनुसार काबिज हैं। विपक्षी संख्या 1 चूना के 1/2 हिस्से में जबरन दखलन्दाजी करते है, जबकि चूना से उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चूना की सेवा चाकरी हम प्रार्थीगण ने की है तथा उसकी मृत्यु पर क्रिया कर्म भी प्रार्थीगण द्वारा किये गये हैं। विवादित भूमि हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है, जिससे चूना को अपने 1/2 हिस्से की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है। वसीयत संदेहास्पद है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि उसे जरिये वसीयत प्राप्त होकर उसका कब्जा चला आ रहा है। वसीयत रजिस्टर्ड है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 25–06–2012 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–08–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्ट का विवादित आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट ने अपने कब्जे एवं वसीयत के संबंध में पडोसियों एवं मौतबीरों व सरपंच मांगूसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु उन्हें अनदेखा करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य कि विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पत्ति है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैत्रृक होने तथा चूना द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत किये जाने का उल्लेख करते हुए अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि ''प्रश्नगत भूमि पैत्रृक होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का ही सिद्ध होता है। ऐसी अवस्था में यदि राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन होता है तो मूलवाद की कार्यवाही ही गौण हो जायेगी, साथ ही प्रार्थीगण को होने वाली सम्भाव्य क्षति से भी इंकार नहीं किया जा सकता।'' उपरोक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि सम्मत है, क्योंकि वसीयत की सत्यता का प्रमाणीकरण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है, किन्तु यदि उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मूलवाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–06–2012 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पीठासीन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested